## 

	70 70 07	/ 17 931
te of Order or Proceeding	Order or proceeding with Signature of presiding	Signature of Parties or Pleaders where necessa
6—उआवेदक / अ	आरोपी बलराम कुशवाह द्वारा श्री केशव सिंह अधिवक्ता । परिवादी द्वारा श्री अरूण श्रीवास्तव अधिवक्ता । आवेदक / आरोपी की ओर से पेश आवेदनपत्र अन्तर्गत धारा 439 जा0फो0 में निवेदन किया गया है कि विद्युत विभाग द्वारा एक परिवादपत्र झूटा प्रस्तुत किया है जिससे उसका कोईसंबंध सरोकार नहीं है । आरोपी शान्ति प्रिय जीवन यापन करने वाला ग्रामीण व्यक्ति है जिसमें उसे पुलिस के द्वारा गिरफतार कर लिया गया है । वह जमानत की सभी शर्तों का पालन करने को तैयार है । ऐसी दशा में उसे नियमित जमानत पर छोड़े जाने का निवेदन किया गया है । परिवादी विद्युत विभाग के अधिवक्ता ने विरोध किया । प्रकरण का अवलोकन किया गया । अभिलेख का अवलोकन से परिवादी विद्युत विभाग ने आरोपी के विरूद्ध स्ट्रीट लाईट के पोल से पीठवीठसीठ सफेद रंग के दो तार डालकर घहेलु विद्युत का अप्राधिकृत रूप से उपयोग करने पर प्रकरण पंजीबद्ध किया है जिसमें आरोपी के विरूद्ध जारी स्थाई गिरफतारी बारंट के पालन में उसे दिनांक 3–3–17 को गिरफतार कर न्यायालय में पेश किया गया । आरोपी को दिनांक 3–3–17 को गिरफतार कर उप जैल गोहद भेज गया है तब से वह अभिरक्षा में है । प्रकरण के निराकरण में अभी समय लगने की संभावना है । आवेदक ने व्यक्त किया कि वह विद्युत विभाग की बकाया राशि जमा करा देगा । ऐसी दशा में आवेदक की ओर से पेश आवेदनपत्र प्रकरण के तथ्यों, परिस्थितियों को देखते हुये स्वीकार करते हुये आदेश दिया जाता है कि आवेदक की ओर से 10000/—दस हजार रूपये की सक्षम जमानत एवं इतनी ही राशि का व्यक्तिगत मुचलका पेश किये जाने पर उसे नियमित जमानत पर छोड़े जाने का आदेश दिया जाता है । प्रकरण आरोप तर्क हेतु दिनांक 25–3–17 को पेश हो ।	